मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2029
29.11.2019 को उत्तर के लिए

संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामीणों का विस्थापन

2029. डॉ. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों सहित राज्य सरकारों से संरक्षित/आरक्षित क्षेत्रों से ग्रामीणों के विस्थापन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे प्रस्तावों का कब तक अनुमोदन किए जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क), (ख), (ग) और (घ) संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामीणों के विस्थापन का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, बाघ रिजर्व सहित संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामीणों का स्वैच्छिक पुनर्वासन के प्रस्ताव कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिसा और तेलंगाना की राज्य सरकारों से प्राप्त हुए हैं।

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक ग्रामीणों के स्वैच्छिक पुनर्वासन के लिए उपर्युक्त राज्य सरकारों को 'बाघ परियोजना' और 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत क्रमश: 485.64 करोड़ रूपए और 34.32 करोड़ रूपए कुल धनराशि जारी की गई है।

(ङ.) नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य से ग्रामीणों के पुनर्वासन के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया क्योंकि यह प्रस्ताव अपूर्ण पाया गया था। पूर्ण सूचना के साथ प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

******